/

संचिका संख्या–01 / बजट–27 / 2025–

बिहार सरकार

गन्ना उद्योग विभाग

प्रेषक,

अरूण कुमार,
अवर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक– अगस्त, 2025

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत विकास भवन, नया सचिवालय स्थित गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के द्वितीय तल अंतर्गत कमरा संख्या–202, 203, 204, 205, 206, 207 एवं 220 के कक्षों तथा कोरिडोर 01 एवं 02 का आधुनिकीकरण हेतु कुल मो० 1,81,92,600/– (एक करोड़ इक्यासी लाख बेरानवें हजार छः सौ) रू० मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–650 दिनांक–27.05.2025 के आलोक में विकास भवन, नया सचिवालय, पटना स्थित गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के द्वितीय तल अंतर्गत कमरा संख्या–202, 203, 204, 205, 206, 207 एंव कक्ष संख्या–220 के कक्षों तथा कोरिडोर 01 एवं 02 में किये गये आधुनिकीकरण के कार्य हेतु कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, केन्द्रीय भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, मैंगल्स रोड, पटना के पत्रांक–4865 अनु० दिनांक– 18.07.2025 के द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल समेकित राशि मो० 1,81,92,600/– (एक करोड़ इक्यासी लाख बेरानवें हजार छः सौ) रू० मात्र की मांग की गई है, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। योजना की विवरणी निम्न प्रकार हैं–

क्र०	विषय	राशि
1	Renovation of Hall No-219A and Furniture Supply of Sugarcane Deptt at Vikash Bhawan, Patna for the Year- 2025-26.	55,91,500/–
2	Renovation of Room No-202, 203, 204, 205, 206, 207 and Furniture Supply of Sugarcane Deptt at Vikash Bhawan, Patna for the Year-2025-26.	47,90,500/–
	Renovation of Secretary Chamber, Cell, Entry Room, Bath and Waiting of Sugarcane Deptt at Vikash Bhawan, Patna for the Year-2025-26.	39,40,500/–
	S/F/F Compactor in Sugarcane Deptt at Vikash Bhawan, Patna for the Year-2025-26.	36,01,200/–
	कुल राशि	1,79,23,700/–
	Add 1.5 % Consultancy (Architected)	2,68,900/–
	Total-	1,81,92,600/–

2. यह कार्य भवन निर्माण विभाग के द्वारा किया जायेगा तथा हस्तांतरण से पूर्व अथवा अन्य कार्य कराते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायेगाः–

क. कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी संतुष्टि प्राप्त कर ली जायेगी कि संबंधित कार्य किसी अन्य योजना से नहीं कराया गया हो या पूर्व में नहीं कराया गया हो।

ख. यह कार्य तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक ही कराया गया है।

Hall

ग. कार्य का सघन पर्यवेक्षण भवन निर्माण विभाग द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा। भवन निर्माण कार्य में सामग्री की गुणवत्ता प्रभावित न हो, इसकी जिम्मेवारी भी संबंधित पदाधिकारी/एजेंसी की ही होगी। प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा भी यह सम्पुष्टि कर ली जाएगी कि प्राक्कलन के अनुरूप कार्य सम्पन्न करा लिया गया है।

घ. संबधित कार्यपालक अभियंता जबतक कि संबंधित कक्ष का पूर्ण आधुनिकीकरण का कार्य न हो जाय प्रगति प्रतिवेदन एवं तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन (अन्यथा अंतर की स्थिति में कारण का स्पष्ट उल्लेख करते हुए) के अनुरूप कार्य सम्पन्न हो जाने के उपरांत कार्य निष्पादन प्रतिवेदन भवन निर्माण विभाग के माध्यम से समर्पित किया जायेगा।

ड़. इस राशि का भुगतान संबंधी अग्रेतर कार्रवाई कार्यों के निष्पादन प्रतिवेदन के आलोक में सम्पन्न होगा।

3. इस पर होने वाले व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2025–26 के मांग संख्या–03–मुख्य शीर्ष–2059 – लोक निर्माण कार्य, उपमुख्य शीर्ष–01–कार्यालय भवन, लघु शीर्ष–053–रख रखाव तथा मरम्मत, उपशीर्ष–0021–गन्ना उद्योग विभाग के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत, विपत्र कोड–03–2059010530021 अंतर्गत विषय शीर्ष–27 लघु कार्य–0017.27.02–अनुरक्षण एवं मरम्मत के अंतर्गत निर्धारित बजट उपबंध के अंतर्गत धारित होगा।

4. इस राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के माध्यम से होगी तथा नियंत्री पदाधिकारी सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना होगें।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि०(2) दिनांक–17.04.1998 में निकासी से संबधित निदेश का अनुपालन करते हुए राशि की निकासी करेगें।

6. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना से की जायेगी।

7. यह मात्र स्वीकृत्यादेश है। आवंटनादेश अलग से भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्गत किया जायेगा।

8. संबंधित राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

10. प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, गन्ना उद्योग विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह०/–
अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या– 276 (को) पटना, दिनांक 06 अगस्त, 2025

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, केन्द्रीय भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, मैंगल्स रोड, पटना के उनके पत्रांक–4865 अनु० दिनांक–18.07.2025 के प्रसंग में/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विश्वशरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई.टी. प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

06/08/25
अवर सचिव।

Hall